

[ 16/2/2024]

प्रश्न सं. [ क. 2221 ]

परिशिष्ट - १

## विधानसभा तारंगित प्रबन्ध लाभांक - 2221

कार्यालय कलेक्टर खनिज जिला गंदरौर म.प्र.

कामाक 109 / खनिज / 2023

मंदरौर दिनांक 16/01/2023

- कारण बताओं सूचना पत्र :-

परि.

मेरारो गुरुकृपा गाइन्स प्रो.रपिद अरोरा  
निवारी नई आधारी मंदरौर


द्वारा:- तहसीलदार गंदरौर

किया - द्वीपकृत उत्थनिपट्टा/ उत्थनिपट्टा की जाति से पाई गई अनियमितताओं को रोकने के

-0-

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि आपके नाम से याम गुजरदा तहसील मंदरौर के गुर्गे में कामाक 4/1 रक्का 3.000 हेक्टेक्टर खनिज रीलपत्थर उत्थनन हेतु उत्थनिपट्टा/ खानेपट्टा लौकिक न आपके द्वारा उत्थनन किए गए क्षेत्र से निट्रो निकालकर सड़क के बास याम की गई है जिससे मांस में दुष्टीतन की रिधति निर्मित हो सकती है राश्य यम की गई निट्रो से सड़क के किनारे जो युक्ताराम का कार्य किया गया है उस पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है।

उत्थनिपट्टा अनियमितता के संघर्ष में आपको कारण यताओं सूचना पत्र के माध्यम से सूचित किया जाता है कि आप उपरोक्त अनियमितता की पूर्ति कर अपना जात्यम रूपना पत्र प्राप्ति के 30 दिनों में प्रस्तुत करें। अन्यथा अनुयथ की शर्तों का उल्लंघन होने से आपके नाम से रवीकृत उत्थनि पट्टा गौण खनिज नियम 1996 तो नियम 30(26) के तहत खदान निरस्त कर आपके द्वारा जाया की गई अनियमित राश्य-राजराम यों जारीगी।

Received  
  
ठारूर २२

(प्रकाश पन्दे)  
अवर सचिव  
म.प्र. शासन, खनिज साधन विभाग

कामाक  
जिला मंदरौर म.प्र.